

कार्यालय आदेश -90

दिनांक- 23.07.2023

सत्र 2023-24 में दिनांक 1 अगस्त, 2023 से प्रा.शा. I एवं प्रा.शा. II वर्ष, शास्त्री I, शास्त्री II और शास्त्री III वर्ष, आचार्य-I और आचार्य II, शि.शा. I और शि.शा. II वर्ष की कक्षाओं में अध्यापन के लिए समय-सारिणी निर्माण हेतु निम्नलिखित की एक समिति गठित की जाती है।

पारम्परिक-शास्त्र

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रो. धनीन्द्र कुमार झा, संयोजक, व्याकरणशास्त्र विद्याशाखा | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. गुरुचरण सिंह नेगी, संयोजक, बौद्धदर्शन एवं पालि विद्याशाखा | सदस्य |
| 3. डॉ. एस.पी. सिंह, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र | सदस्य |
| 4. डॉ. हरिनारायणधर द्विवेदी, संयोजक, ज्योतिषशास्त्र विद्याशाखा | सदस्य |
| 5. डॉ. प्रफुल्ल गडपाल, संयोजक, संस्कृत साहित्य विद्याशाखा | सदस्य |
| 6. डॉ. धर्मेन्द्र कुमार पाठक, वेद पौरोहित्य कर्मकाण्ड विद्याशाखा | सदस्य |

शिक्षाशास्त्र एवं कौशल प्रशिक्षण विद्याशाखा

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 7. प्रो. लोकमान्य मिश्र | अध्यक्ष |
| 8. प्रो. अवनीश अग्रवाल | सदस्य |
| 9. प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी | सदस्य |
| 10. प्रो. बच्चा भारती | सदस्य |
| 11. डॉ. हरि ओम शर्मा | सदस्य |
| 12. डॉ. रुद्रनारायण नरसिंह मिश्र | सदस्य |
| 13. डॉ. राधा तिवारी | सदस्य |

समिति के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि दिनांक 27.07.2023 तक समय-सारिणी को अन्तिम रूप देते हुए अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना चाहेंगे।

प्रा.शा. I एवं प्रा.शा. II वर्ष में निर्धारित विषयों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त कालांश का प्रावधान पारम्परिक शास्त्र के लिए करना चाहेंगे, जिसमें इच्छानुसार छात्र व्याकरण और ज्योतिष का भी अध्ययन कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त गत वर्ष की तरह 30 मिनट का एक कालांश गायन, वादन और नृत्य के लिए; 30 मिनट का एक कालांश अंग्रेजी सम्भाषण के लिए और 30 मिनट का एक कालांश का प्रावधान संस्कृत सम्भाषण के लिए करना चाहेंगे।

प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक विभागीय वाग्वर्धिनी सभा, 12 से 2 बजे तक कक्ष संख्या-4 में शिक्षकों की संगोष्ठी/कार्यशाला, अपराह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक समितियों का आवश्यक उपवेशन एवं अन्य कार्य।

पूर्वाह्न 10 बजे से 2 बजे तक दोनों कार्यक्रमों में सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य। 3 बजे के बाद 5:30 बजे तक आवश्यकतानुसार शिक्षकों की उपस्थिति की अनिवार्यता होगी। जिन शिक्षकों की बैठक 3 बजे से 5:30 बजे में जिस बुधवार को नहीं होगी, वे अपना अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। कक्षा के समय में कक्षा छोड़कर व्यक्तिगत कार्य करने की कृपा नहीं करना चाहेंगे और न ही निदेशक से मौखिक रूप से अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहेंगे। निर्धारित कालांश में शिक्षक सम्बद्ध


21/5/24

कक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहेंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है यह कहकर कक्षा में अनुपस्थित नहीं रहना चाहेंगे। पूर्ण पाठ्यक्रम का पुनः अभ्यास, अध्यापन करना-कराना चाहेंगे। स्वयं के अवकाश की स्थिति में अपने शोधच्छात्रों को लिखित रूप में कक्षा अध्यापन के लिए नियुक्त करेंगे और इसकी लिखित सूचना निदेशक के मेल पर देंगे। निदेशक को सम्बोधित अन्य सभी पत्र/आवेदन-पत्र आदि निदेशक के मेल पर ही देना चाहेंगे।


(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

प्रतिलिपि-

- 1 उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 13 तक सभी को सूचनार्थ
- 2 कार्यालय आदेश सञ्चिका
- 3 श्री वेद प्रकाश, LDC को सम्बद्ध सञ्चिका के लिए
- 4 डॉ. गुरुचरण सिंह नेगी, समन्वयक, IQAC
- 5 वेबसाइट पर अपलोड हेतु श्री मुकुल कुमार मिश्र, तकनीकी सहायक
- 6 निदेशक कार्यालय प्रति


निदेशक